

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2300

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है।

28 अग्राहायण, 1947 (शक)

भारत बीपीओ संवर्धन योजना (आईबीपीएस) और उत्तर-पूर्व बीपीओ संवर्धन योजना (एनईबीपीएस)

2300. श्री भुबनेश्वर कालिता:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अनुमोदित लक्ष्यों की तुलना में सफलतापूर्वक स्थापित और कार्यशील सीटों की संख्या सहित भारत बीपीओ संवर्धन योजना (आईबीपीएस) और उत्तर-पूर्व बीपीओ संवर्धन योजना (एनईबीपीएस) के तहत सीट आवंटन और परिचालन की नवीनतम स्थिति क्या है;
- (ख) उक्त दोनों योजनाओं के तहत आज की तिथि तक संवितरित कुल व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और लाभार्थी-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) आईबीपीएस और एनईबीपीएस के तहत स्थापित बीपीओ/आईटीईएस इकाइयों के माध्यम से, विशेषकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में, अब तक कितना रोजगार सृजित हुआ;
- (घ) क्या मंत्रालय ने इन योजनाओं के तहत बीपीओ/आईटीईएस प्रचालन स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने में कंपनियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों की समीक्षा की है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम - "नौकरियों के लिए आईटी" स्तंभ के तहत भारत बीपीओ संवर्धन योजना (आईबीपीएस) और पूर्वोत्तर बीपीओ संवर्धन योजना (एनईबीपीएस) नामक दो बीपीओ प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की।

इन योजनाओं का उद्देश्य आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना था। इन योजनाओं ने गैर-मेट्रो स्थानों, विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों और छोटे शहरों में बीपीओ/आईटीईएस प्रचालनों की स्थापना को प्रोत्साहित करके रोजगार सृजित किया।

दोनों योजनाओं में प्रति सीट ₹1 लाख तक की वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान की गई। आईबीपीएस और एनईबीपीएस की अवधि पूरी हो चुकी है।

इन योजनाओं के तहत, 246 इकाइयों ने देश के 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 45,543 सीटों वाले बीपीओ/आईटीईएस परिचालन स्थापित किए हैं। ये 104 छोटे कस्बों/शहरों में वितरित किए गए हैं, जो टियर 2/3 शहरों में 53,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हैं।

आईबीपीएस और एनईबीपीएस के तहत वित्तीय सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की गई थी, जो सीधे इकाइयों द्वारा रोजगार सृजन से जुड़ी हुई थी। तदनुसार, 188 इकाइयों ने वायबिलिटी गैप फंडिंग का दावा किया और पात्र इकाइयों को लगभग 134 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान, मंत्रालय ने बीपीओ/आईटीईएस संचालन स्थापित करने और बनाए रखने में कंपनियों के सामने आने वाली परिचालन चुनौतियों का समाधान करने के लिए हितधारकों के साथ नियमित परामर्श और समीक्षा की।

इन समीक्षाओं के आधार पर, कई पाठ्यक्रम सुधार और छूट पेश की गईं, जिनमें शामिल हैं:

- किसी स्थान पर आवश्यक सीटों की न्यूनतम संख्या में कमी
- प्रोत्साहन की प्रो-रेटा रिलीज़ के साथ न्यूनतम रोजगार लक्ष्यों में छूट
- परिचालन शुरू होने पर अग्रिम भुगतान का प्रावधान

इन उपायों ने टियर- II और टियर- III शहरों में समावेशी विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के अपने मूल उद्देश्य के अनुरूप योजनाओं के तहत भागीदारी, व्यवहार्यता और रोजगार परिणामों में सुधार करने में मदद की।
